न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 10/2021
3. उनवान : ग्राम पंचायत काजीपुरा पंचायत समिति सांभरलेक तहसील सांभरलेक जिला जयपुर जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

–निगरानीकार

बनाम

देवाराम पुत्र श्री सुवाराम जाति जाट निवासी ग्राम रसूलपुरा पंचायत समिति सांभरलेक तहसील सांभरलेक जिला जयपुर।

–विपक्षी/गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 08.09.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी एवं गोपाल लाल बाना निगरानीकार की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गैरनिगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी संख्या 1 ने पट्टा चाहने बाबत् वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानो के विपरीत जाकर नियम विरूद्ध निगरानीकार को मुगालते में रखते हुये रास्ते की भूमि को शामिल करते हुये खाली भूखण्ड पर पुख्ता मकानात बताकर पट्टा संख्या 21 दिनांक 9/12/2004 को क्षेत्रफल 397.22 वर्गगज का जारी करवा लिया। जबकि मौके पर किसी प्रकार का कोई मकान बना हुआ नहीं था। ग्राम पंचायत से मिलकर वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत जाकर उक्त पट्टा जारी करवा लिया। जिसके संदर्भ में शिकायत होने पर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा उक्त पट्टे की जगह का पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति में जांच की गई। जांच में स्पष्ट रूप से मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण, भवन, घर नही बना हुआ था। बल्कि खाली भूखण्ड मौके पर स्थित था, जिस पर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त करने बाबत् विकास अधिकारी पंचायत समिति साम्भर को जांच रिपोर्ट के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की। जिसकी पालना में विकास अधिकारी सांभरलेक द्वारा प्रार्थी निगरानीकार को उक्त पट्टे को निरस्त करवाने बाबत् निगरानी प्रस्तुत करने के लिये अपने पत्र क्रमांक पससा/जांच/2021/500 दिनांक 10/6/2021 के द्वारा निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में उक्त निगरानी अदालत हाजा के समक्ष पेश की गई।

निगरानीकार ने निगरानी के संलग्न निगरानीधीन पट्टा सं0 21 की सम्पूर्ण पत्रावली, विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभरलेक की जांच रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की हैं।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये। गैर निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार उपस्थित हुए।

गैर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत जवाब निगरानी में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूखण्ड का आबादी पट्टा तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम पंचायत के अन्य पदाधिकारियों द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर मिन उत्तरदाता के हक में पट्ट जारी किया गया था। साथ ही मिन उत्तरदाता के हक में वादग्रस्त आबादी का पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार आम सूचना का प्रकाशन करवाया गया है। वादग्रस्त भूखण्ड पर मिन उत्तरदाता का उसके हक पूर्वाधिकारियों के समय से कब्जा एवं अधिकार चला आ रहा था तथा मिन उत्तरदाता द्वारा उक्त आबादी भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत काजीपुरा में आवेदन किया गया जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 13 दिनांक 05.08.2004 कायम कर कोरम के समक्ष मिन उत्तरदाता का प्रकरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.08.2004 को मिन उत्तरदाता के स्वामित्व के भूखण्ड का पट्टा जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर सचिव द्वारा मिन उत्तरदाता के भूखण्ड का नजरी नक्शा तैयार कर कौरम के समक्ष मिन उत्तरदाता के भूखण्ड की पत्रावली प्र.तुत की गई। जिस पर दिनांक 05.09.2004 को सचिव द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे का पूर्णतया अवलोकन करने के पश्चात पंचायत के कोरम द्वारा निर्णय लिया जाकर मिन उत्तरदाता के भूखण्ड एवं कब्जे का भलीप्रकार पंच कमीशन की नियुक्ति करते हुये निरीक्षण किये जाने के उपरान्त दिनांक 05.10.2004 को मिन उत्तरदाता के भूखण्ड पर आपत्ति नोटिस चस्पा किया गया। तत्पश्चात नियत समयावधि उपरान्त कोरम की बैठक दिनांक 05.11.2004 को आयोजित कर चस्पा किये गये नोटिस पर कोई आपत्ति नहीं आने पर विधि अनुसार प्रक्रिया को पूर्ण करते हुये मिन उत्तरदाता के हक में पट्टा जारी किया गया। यदि शिकायतकर्ता व निगरानीकर्ता को इसमें किसी प्रकार की कोई उज्र या आपत्ति होती तो उसके द्वारा तत्समय ही अपनी आपत्ति दर्ज करवाई जाती। मिन उत्तरदाता के आबादी भूखण्ड पर चार–दिवारी, पशुओं को रखने हेतु खाम–छप्पर व कच्चे मकानात का निर्माण हो रखा है, जो वर्तमान में भी मौजूद हैं। मिन उत्तरदाता द्वारा उक्त भूखण्ड का मय परिवार उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है। साथ ही मिन उत्तरदाता द्वारा उससे द्वेषभावना, राजनैतिक द्वेषता रखने वाले लोगों व निगरानीकर्ता के विरूद्ध न्यालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जयपुर के समक्ष एक वाद उनवानी देवाराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत काजीपुरा व अन्य प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद को जरिये निर्णय व डिक्री दिनांक 25.04.2022 के द्वारा मिनं उत्तरदाता के हक में निर्णित फरमाते हुये निगरानीकर्ता एवं अन्य को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाते हुये आदेशित किया गया है कि निष्कर्षतः वाद वादी देवाराम विरूद्ध प्रतिवादीगण ग्राम पंचायत कांजीपुरा वगैराह डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है कि वे वादी को विवादित भूखण्ड से बेदखल न करें, ना ही कोई डाल तोडे, न ही पेड़ काटे, न ही वादी की पट्टशुदा भूमि में से खाली पडी जमीन पर किसी प्रकार का कोई सडक या अन्य किसी प्रकार का निर्माण करें तथा न ही वादी के उक्त भूमि के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पहुँचाये।" उक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की निगरानीकर्ता को बखूबी जानकारी होने के बावजूद भी मिन उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने, झूठी शिकायतों को आधार मानते हुये मिन उत्तरदाता के हक में जारी पट्टे

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

के निरस्त करने पर आमादा है जिसका कोई कानूनी अधिकार निगरानीकर्ता को नहीं है। उत्तरदाता के हक में तत्कालीन ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा पट्टा जारी करने में किसी भी नियम/उपनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। मिन उत्तरदाता के हक में पट्टा विलेख जारी करते समय मिन उत्तरदाता के आबादी प्लाट पर चारों ओर कच्ची/पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण हो रखा था तथा आबादी प्लाट में खाम-छप्पर व कच्चे पक्के घरों का निर्माण हो रखा था तथा मिन उत्तरदाता व उसके परिवारजन उक्त आबादी प्लाट का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे थे तथा वर्तमान में भी उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। मिन उत्तरदाता के हक में ग्राम पंचायत व उसके तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा आवंटन नियमों की पालना कर पट्टा विलेख जारी किया गया है जिसे अब निगरानीकर्ता को निरस्त करने का कोई कानूनी हक एवं अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत वाद को उक्त न्यायालय द्वारा निरतारित फरमाते हुये निगरानीकर्ता एवं अन्य लोगों को मिन उत्तरदाता के स्वामित्व के आबादी प्लाट के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अवैधानिक कार्यवाहियों हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया हुआ है। यदि निगरानीकर्ता द्वारा मिन उत्तरदाता के प्लाट के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाती है तो मिन उत्तरदाता द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध अवमानना याचिका प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षिण रखते हुये उक्त निगरानी का जवाब प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। सुयोग्य अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि पंचायती राज एक्ट के प्रावधानो के विपरीत जाकर नियम विरूद्ध रास्ते की भूमि को शामिल करते हुये खाली भूखण्ड पर पुख्ता मकानात बताकर पट्टा संख्या 21 दिनांक 9/12/2004 को क्षेत्रफल 397.22 वर्गगज का जारी करवा लिया। जबकि मौके पर किसी प्रकार का कोई मकान बना हुआ नहीं था। जिसके संदर्भ में शिकायत होने पर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा उक्त पट्टे की जगह का पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति में जांच की गई। जांच में स्पष्ट रूप से मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण, भवन, घर नही बना हुआ था। बल्कि खाली भूखण्ड मौके पर स्थित था, जिस पर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त करने बाबत् विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभर को जांच रिपोर्ट के साथ अपनी रिपोर्ट पेश की। जिसकी पालना में विकास अधिकारी सांभरलेक द्वारा प्रार्थी निगरानीकार को उक्त पट्टे को निरस्त करवाने बाबत् निगरानी प्रस्तुत करने के लिये पत्र दिनांक 10/6/2021 के द्वारा निर्देशित किया गया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने कौरम के व विपक्षी संख्या 1 के विश्वास पर उक्त पट्टा जारी कर दिया गया। जबकि मौके पर की गई जांच से स्पष्ट है कि कोई किसी प्रकार का मकान, भवन आदि नही बना हुआ है, खाली भूखण्ड है, के स्थान पर बना हुआ मकान बताकर उक्त अपीलाधीन पट्टा रियायती दर पर जारी करवा लिया। निगरानीधीन पट्टा सहवन से और आवेदनकर्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन व पंच कमीशन मौका रिपोर्ट पर विश्वास कर उक्त पट्टा जारी कर दिया। उक्त जारी किया गया पट्टा बने हुये मकान का दिया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार के पंचायत राज नियमों का उल्लेख नही करते हुये आवंटित पट्टा 5/- रूपये प्रतिवर्गगज रियायती दर से दिया गया हैं। जबकि मौके पर पुख्ता मकान यदि था तो पंचायत राज नियम के नियम 1000

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

के अन्तर्गत जारी किया जाना था। जबकि भूखण्ड खाली था। पट्टा पुख्ता दिया गया, को रियायती दर पर दिये जाने का कोई प्रश्न या औचित्य ही नही पटवारी पडताली से बार्ड पचो की रिपोर्ट मे पुख्ता मकान बताया। जबकि मौके पर भूमि खाली पडी है। खाली भूमि का अधिकतम 150 वर्गगज तक नियमानुसार डी.एल.सी. दर अथवा रियायती दर पर आवंटन करने का अधिकार था, के बजाय पंचायती राज नियम 1996 के नियमों को दरकिनार करते हुये उक्त जारीशुदा पट्टा खाली भूखण्ड का 397.22 वर्गगज का जारी कर दिया गया, जो नियमों में कही भी प्रावधान नही है। खाली भूखण्ड को पुख्ता मकानात बताकर नियमो के विरुद्ध रियायती दर 5/– रूपये प्रतिवर्गगज पर 397.22 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया। जिसके कारण पंचायती राजकोष को भंयकर हानि पहुचाना ही उद्देश्य रहा है। जबकि जांच रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से स्पष्ट है कि मौके पर किसी भी प्रकार का कोई मकान, भवन आदि नही है। बल्कि भूखण्ड मौके पर खाली है। ऐसी स्थिति में दिया गया अपीलाधीन आदेश पंचायती राज प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 10/06/2021 के द्वारा उक्त विधि विरुद्ध पट्टे को निरस्त करने बाबत ग्राम पंचायत की ओर से निगरानी प्रस्तुत कर जारी पट्टे को निरस्त करने की स्वीकृत प्रदान की है। अतः संकल्प संख्या 10 दिनांक 20/11/2004 के द्वारा पट्टा संख्या 21 दिनांक 09/12/2004 को जारी किया गया को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावें।

उक्त तथ्यों प्रत्युत्तर में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता गैर निगरनीकार ने कथन किया कि वादग्रस्त भूखण्ड का आबादी पट्टा तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम पंचायत के अन्य पदाधिकारियों द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर गैरनिगरानीकार के हक में पट्ट जारी किया गया था। वादग्रस्त आबादी का पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार आम सूचना का प्रकाशन करवाया गया है। वादग्रस्त भूखण्ड पर गैरनिगरानीकार का उसके हक पूर्वाधिकारियों के समय से कब्जा एवं अधिकार चला आ रहा था तथा गैरनिगरानीकार द्वारा उक्त आबादी भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत काजीपुरा में आवेदन किया गया जिस पर ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 13 दिनांक 05.08.2004 कायम कर कोरम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.08.2004 को मिन उत्तरदाता के स्वामित्व के भूखण्ड का पट्टा जारी करने की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर सचिव द्वारा मिन उत्तरदाता के भूखण्ड का नजरी नक्शा तैयार कर कौरम के समक्ष मिन उत्तरदाता के भूखण्ड की पत्रावली प्रस्तुत की गई। जिस पर दिनांक 05.09.2004 को सचिव द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे का पूर्णतया अवलोकन करने के पश्चात पंचायत के कोरम द्वारा निर्णय लिया जाकर पंच कमीशन की नियुक्ति करते हुये निरीक्षण किये जाने के उपरान्त दिनांक 05.10.2004 को गैरनिगरानीकार के भूखण्ड पर आपत्ति नोटिस चस्पा किया गया। तत्पश्चात नियत समयावधि उपरान्त कोरम की बैठक दिनांक 05.11.2004 को आयोजित कर चस्पा किये गये नोटिस पर कोई आपत्ति नहीं आने पर विधि अनुसार प्रक्रिया को पूर्ण करते हुये मिन उत्तरदाता के हक में पट्टा जारी किया गया। यदि शिकायतकर्ता व निगरानीकर्ता को इसमें किसी प्रकार की कोई उज्र या आपत्ति होती तो उसके द्वारा तत्समय ही अपनी आपत्ति दर्ज करवाई जाती। गैरनिगरानीकार के आबादी भूखण्ड पर चार–दिवारी, पशुओं को रखने हेतु खाम–छप्पर व कच्चे मकानात का निर्माण हो रखा है, जो वर्तमान में भी मौजूद हैं। गैरनिगरानीकार द्वारा उक्त भूखण्ड का मय परिवार उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है। साथ ही

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

[illegible]निगरानीकार द्वारा उसके द्वेषभावना, राजनैतिक द्वेषता रखने वाले लोगों व निगरानीकर्ता [illegible] विरुद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जयपुर के समक्ष [illegible] वाद प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा [illegible] [illegible] व डिक्री दिनांक 25.04.2022 के द्वारा [illegible] उत्तरदाता के हक में [illegible] [illegible] निगरानीकर्ता एवं अन्य को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से विवादित भूखण्ड में [illegible] [illegible] किसी प्रकार की सड़क आदि का निर्माण नहीं करने के आदेश से पाबन्द किया गया। गैरनिगरानीकार के हक में तत्कालीन ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा पट्टा जारी करने में किसी भी नियम एवं उपनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। पट्टा विलेख जारी करते समय गैरनिगरानीकार के आबादी प्लाट पर चारों ओर कच्ची पक्की चारदीवारी का निर्माण हो रखा था तथा आबादी प्लाट में [illegible] व कच्चे पक्के [illegible] का निर्माण हो रखा था तथा गैरनिगरानीकार व उसके परिवारजन उक्त आबादी प्लाट का उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे थे तथा वर्तमान में भी उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं। गैरनिगरानीकार के हक में ग्राम पंचायत व उसके तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक नियमों की पालना कर पट्टा विलेख जारी किया गया है जिसे अब निगरानीकर्ता को निरस्त करने का कोई कानूनी हक एवं अधिकार नहीं है। निगरानीकर्ता के विरुद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत वाद को उक्त न्यायालय द्वारा निस्तारित फरमाते हुये निगरानीकर्ता एवं अन्य लोगों को निन उत्तरदाता के स्वामित्व के आबादी प्लाट के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अवैधानिक कार्यवाहियों हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया हुआ है। अतः गैरनिगरानीकार के हक में जारी विवादित पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पालना में जारी होने से निगरानीकार की निगरानी को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत निगरानी ग्राम पंचायत काजीपुरा द्वारा जारी पट्टा संया 21 दिनांक 09/12/2004 के विरुद्ध विचाराधीन है। ग्राम पंचायत द्वारा 397.22 वर्गगज का उक्त पट्टा 5/रु प्रति वर्गगज की दर से जारी किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में रियायती दर पर अधिकतम 150 वर्गगज का पट्टा ही जारी किया जा सकता है। उक्त अधिनियम के नियम 157 में अधिकतम 300 वर्गगज के नियमतिकरण का प्रावधान है।

गैर निगरानीकार द्वारा विवादित भू–खण्ड पर निर्माण होना बताकर निगरानीधीन पट्टा जारी करवाया गया है। जबकि उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक एवं सचिव व पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि मौके पर खाली होना जाहिर होता है। जब उक्त भूमि पर मौके पर निर्माण नहीं है तो पट्टा पत्रावली में वार्ड पंच की मौका रिपोर्ट जिसमें मौके पर निर्माण होना अंकित है, वह दोषपूर्ण प्रतीत होती है। खाली भूखण्ड पर रियायती दरों पर निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया गया है, जिससे राजकोष को हानि हुयी है। उक्त की पुष्टि विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांभरलेक की रिपोर्ट से होती है।

माननीय सिविल न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2022 में वादी वर्तमान गैरनिगरानीकार के पट्टे की वैधता का निर्धारण नहीं किया गया है अपितु विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। हस्तगत प्रकरण में एवं माननीय सिविल न्यायालय के प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु एवं प्रकरण अलग–अलग प्रकृति के है। जहां तक पट्टे की वैधता का प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 97 के अंतर्गत

Addl. District Magistrate III JAIPUR

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.2004 द्वारा पट्टे के पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। साथ ही पंचायत एक्ट प्रावधानों के अनुसार 150 वर्गगज की भूमि से अधिक नाप के पट्टे की भूमि में 6 माह की अवधि में यदि कोई निर्माण कार्य पट्टाधाकर नही करता है तो उक्त पट्टा स्वतः ही अप्रभावशील हो जाता है। अतः विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभरलेक की जांच रिपोर्ट एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानीधीन पट्टा संख्या 21 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की अवहेलना में जारी होने से पट्टा खारिज योग्य है।

उपर्यक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत काजीपुरा पंचायत समिति सांभरलेक द्वारा संकल्प संख्या 10 दिनांक 20.11.2004 की अनुपालना में जारी निगरानीधीन पट्टा सं0 21 दिनांक 09 / 12 / 2004 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट जयपुर